

ईमेल

प्रेषक

महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा।

सेवा में

Respondent No. 3 to 644
of CWP No. 20599 of 2021.

यादि क्रमांक:—कोर्ट केस—1ई.11—2025/10466-11108

दिनांक:— 01/10/2025

विषय:—

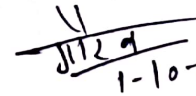
Regarding CWP No. 9278 of 2020 Mehak V/s State of Haryana and Others.

CWP No. 12349 of 2020 Pratibha V/s State of Haryana and Others.

CWP No. 20599 of 2021 Rahul Mittal V/s State of Haryana and Others.

उपरोक्त विषय के संदर्भ में आप सभी को अवगत करवाया जाता है कि उक्त सी.डब्ल्यू. पी. नंबर—20599 आफ 2021 में आप सभी को उत्तरवादी बनाया गया है इसलिए आपको इस पत्र के साथ सी.डब्ल्यू.पी. नंबर—20599 आफ 2021 राहुल मितल बनाम हरियाणा सरकार व अन्य की प्रति व माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायलय चण्डीगढ़ के द्वारा उक्त CWP's में पारित निर्णय दिनांक 09.09.2025 की प्रति भेजकर आपको निर्देश दिये जाते हैं कि आप अपना—2 जवाबदावा आगामी सुनवाई की तिथि 22.01.2026 से पूर्व माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायलय चण्डीगढ़ में जमा करवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न:—यथोपरि।


1-10-2025

उप अधीक्षक, स्थापना—11

कृते: महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा।